

21/11/22 - आज पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित
 आये हैं। वकील वादी ने उपस्थित होकर बाद की
 नोट प्रेस में खारिज करने का निर्देश किया एवं
 सहमती स्वरूप अपने हस्ताक्षर किये अतः वाद वादी -
 नोट प्रेस में खारिज किया जाता है। पत्रावली फौजदारी
 सुमार होकर नम्बर से कम है। बाद तकमील
 जिला लॉन्ग भेज दी। सुनाया गया।

